न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 365–एक/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 11–12–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ जिला सागर के प्रकरण कमांक 01/अ–6/13–14.

श्री राम पिता श्री दुर्गाप्रसाद विश्वकर्मा
निवासी ग्राम पीपरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर म0 प्र0

.....निगराकार

विरूद्ध

1 रामबिशाल पिता दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा
2 बबलू उर्फ राजकुमार पिता दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा
दोनों निवासी सुभाष नगर वार्ड सागर जिला सागर म0 प्र0
3 किरन पिता दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा पति श्री आशाराम विश्वकर्मा
निवासी ग्राम परसोरिया तहसील व जिला सागर म0 प्र0
4 उमा पिता दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा पति दयाराम विश्वर्मा
निवासी ग्राम जरिया खिरिया तहसील व जिला सागर म0 प्र0
5 सुमन पिता दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा पति नारायण विश्वकर्मा
निवासी ग्राम कुनजोरा तहसील व जिला सागर म0 प्र0

.....गैरनिगराकारगण

श्री शिवराम यादव अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 365–एक/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी

राहतगढ़, सागर के प्रकरण क्रमांक 01/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्ध संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । ग्राम पीपरा, तहसील राहतगढ़ जिला सागर की संशोधन पंजी वर्ष 2006–07 में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–07 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष अपील दिनांक 10–10–13 को हुई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आक्षेपित आदेश द्वारा विलम्ब माफ किया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दायर हुई ।

3/ मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने एवं अभिलेखों का परिशीलन किया।

निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि जब गैरनिगराकारगण के संशोधन पंजी में हस्ताक्षर हैं, तो जानकारी नहीं होने का आधार मान्य करते हुए अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलंब को क्षमा किया जाना उचित नहीं है । गैर निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि वाद भूमि गैरनिगराकारगण की पैतृक सम्पत्ती है जिस पर उनका वारसाना हक है । विषयांकित संशोधन पंजी पर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं । गैरनिगराकारगण का हक त्याग केवल पंजीकृत विलेख या बैनामा के माध्यम से ही हो सकता था, अन्यथा नहीं । संशोधन पंजी के आदेश के पूर्व इश्तेहार जारी कर दावे–आपत्ती भी नहीं बुलाए गए, ना ही गैरनिगराकारगण को समक्ष में सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया है । उन्हें संशोधन पंजी के आदेश की जानकारी, जैसा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बताया है, वैसे ही मिली । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब माफी कर प्रकरण में गुणदोष पर विचार करने का निर्णय लिया जाना, सही है ।

4/ तर्को पर विचार एवं अभिलेख के परिशीलन उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि हांलाकि अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 27–1–15 में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों का विवरण और अपना निर्णय तो लिखा है, किन्तु उन्होंने इस आदेश में कोई विवेचना कर उन आधारों को स्पष्ट नहीं किया जिनसे उन्होंने विलंब का कारण समाधानकारक पाया है । उन्हें अपने निष्कर्ष निकाल कर बोलते स्वरूप का आदेश पारित

करना चाहिए था, जिसमें वे (1) विलंब के कारणों क़ो वे समाधानकारक क्यों पाते है, इसका खुलासा कर सकते थे, एवं (2) यदि प्रकरण के गुणदोष पर विचार उनके मत में इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए विलंब माफी उनके मत में युक्तिसंगत थी, तो , अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं एवं परीक्षण के प्रकाश में ऐसा वे क्यों मानते थे, अपने आदेश में वे उसका भी खुलासा कर सकते थे । ऐसा अनुविभागीय अधिकारी ने नहीं किया ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 27–1–15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ एवं उसे निरस्त करता हूँ । साथ ही मैं अनुविभागीय अधिकारी को एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि वे, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम एक माह के भीतर, अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1/अ6/13–14 में विलंब माफी के बिन्दु पर नए सिरे से बोलता हुआ आदेश पारित करें, जिसमें वे इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा –3 में लिखे एवं उनके समक्ष प्रस्तुत उभयपक्ष के तर्कों, इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा 4 में लिख दिये जा चुकें बिन्दुओं, तथा प्रकरण के अभिलेखों एवं तथ्यों के प्रकाश में आधारों एवं विवेचना सहित निष्कर्ष निकालकर अपना निर्णय अभिलिखित करें ।

आदेश पारित ।

उभयपक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ सूचित हों ।

अभिलेख वापस हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव) 6.1.16
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर